

# अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986

(1986 का अधिनियम संख्यांक 69)

[24 दिसम्बर, 1986]

अरुणाचल प्रदेश राज्य की स्थापना का और  
उससे संबंधित विषयों का उपबन्ध  
करने के लिए  
अधिनियम

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

## भाग 1

### प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 है।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “प्रशासक” से राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक अभिप्रेत है ;

(ख) “नियत दिन” से वह दिन अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे ;

(ग) “अनुच्छेद” से संविधान का अनुच्छेद अभिप्रेत है ;

(घ) “निर्वाचन आयोग” से राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 324 के अधीन नियुक्त निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है ;

(ङ) “विद्यमान अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र” से नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है ;

(च) “विधि” के अंतर्गत विद्यमान सम्पूर्ण अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग में नियत दिन के ठीक पूर्व विधि का बल रखने वाली कोई अधिनियमिति, अध्यादेश, विनियम, आदेश, उपविधि, नियम, स्कीम, अधिसूचना या अन्य लिखत है ;

(छ) संसद् के दोनों सदनों में से किसी सदन या विद्यमान अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के संबंध में, “आसीन सदस्य” से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो नियत दिन के ठीक पूर्व उस सदन या उस विधान सभा का सदस्य है ;

(ज) “खजाना” के अन्तर्गत उपखजाना है।

## भाग 2

### अरुणाचल प्रदेश राज्य की स्थापना

3. अरुणाचल प्रदेश राज्य की स्थापना—नियत दिन से ही, एक नया राज्य स्थापित किया जाएगा जिसका नाम अरुणाचल प्रदेश राज्य होगा जिसमें वे राज्यक्षेत्र समाविष्ट होंगे जो उस दिन के ठीक पूर्व विद्यमान अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र में समाविष्ट थे।

4. संविधान की पहली अनुसूची का संशोधन—नियत दिन से ही, संविधान की पहली अनुसूची में,—

(क) “1. राज्य” शीर्षक के अन्तर्गत, प्रविष्टि 23 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“24. अरुणाचल प्रदेश वे राज्यक्षेत्र जो पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 की धारा 7 में विनिर्दिष्ट हैं।” ;

(ख) “2. संघ राज्यक्षेत्र” शीर्षक के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश से संबंधित प्रविष्टि 8 का लोप किया जाएगा।

## भाग 3

### विधान-मंडलों में प्रतिनिधित्व

#### राज्य सभा

5. संविधान की चौथी अनुसूची का संशोधन—नियत दिन से ही, संविधान की चौथी अनुसूची की, सारणी में,—

(क) प्रविष्टि 24 और प्रविष्टि 25 को क्रमशः प्रविष्टि 25 और प्रविष्टि 26 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित प्रविष्टि 25 के पूर्व, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“24. अरुणाचल प्रदेश \_\_\_\_\_ 1” ;

(ख) प्रविष्टि 26 का लोप किया जाएगा ।

**6. आसीन सदस्य का आबंटन—**(1) नियत दिन से ही, विद्यमान अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला राज्य सभा का आसीन सदस्य, राज्य सभा में अरुणाचल प्रदेश राज्य को आबंटित स्थान को भरने के लिए अनुच्छेद 80 के खंड (4) के अधीन सम्यक् रूप से निर्वाचित किया गया समझा जाएगा ।

(2) ऐसे आसीन सदस्य की पदावधि अपरिवर्तित रहेगी ।

**7. 1950 के अधिनियम 43 की धारा 27क का संशोधन—**नियत दिन से ही, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 27क की उपधारा (4) में, “अरुणाचल प्रदेश और पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र में से प्रत्येक के लिए निर्वाचकगण” शब्दों के स्थान पर “पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र के लिए निर्वाचकगण” शब्द रखे जाएंगे ।

### लोक सभा

**8. विद्यमान लोक सभा में स्थानों का आबंटन—**(1) नियत दिन से ही, अरुणाचल प्रदेश राज्य का लोक सभा में स्थानों का आबंटन दो होगा ; और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की प्रथम अनुसूची तदनुसार संशोधित की गई समझी जाएगी ।

(2) नियत दिन से ही, विद्यमान अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र के दो संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र समझे जाएंगे और संसदीय तथा सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ।

**9. आसीन सदस्यों के बारे में उपबन्ध—**ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों का, जो नियत दिन को धारा 8 के उपबंधों के आधार पर अरुणाचल प्रदेश राज्य के निर्वाचन-क्षेत्र बन जाते हैं, प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के आसीन सदस्य उन निर्वाचन-क्षेत्रों से लोक सभा के लिए अनुच्छेद 81 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन निर्वाचित किए गए समझे जाएंगे ।

### विधान सभा

<sup>1</sup>[**10. विधान सभा के बारे में उपबंध—**अरुणाचल प्रदेश राज्य की विधान सभा में सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या साठ होगी और जिनमें से उनसठ स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगे; और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) के उपबंध तदनुसार संशोधित कर दिए गए समझे जाएंगे ।]

**11. अनन्तिम विधान सभा—**(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी (जिसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश राज्य की विधान सभा की सदस्य संख्या से संबंधित उपबन्ध भी हैं) जब तक उस राज्य की विधान सभा का सम्यक् रूप से गठन नहीं हो जाता और उसे प्रथम सत्र के लिए आहूत नहीं कर लिया जाता तब तक नियत दिन से ही एक अनन्तिम विधान सभा होगी <sup>2</sup>[जिसमें विद्यमान अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के लिए—

(क) प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य ; और

(ख) नामनिर्देशित सदस्य,

होंगे ।]

(2) अनुच्छेद 172 के खंड (1) में निर्दिष्ट पांच वर्ष की अवधि, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनन्तिम विधान सभा की दशा में, उस दिन से प्रारम्भ हुई समझी जाएगी जिस दिन अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र की विद्यमान विधान सभा की अवधि संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) की धारा 5 के अधीन प्रारम्भ हुई है ।

<sup>2</sup>[(3) इस धारा के अधीन गठित अनन्तिम विधान सभा जब तक विद्यमान रहती है,—

(क) वह अरुणाचल प्रदेश राज्य की संविधान के अधीन सम्यक् रूप से गठित विधान सभा समझी जाएगी और संविधान के अधीन राज्य की विधान सभा के सभी कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम होगी ; और

(ख) उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट, उसके सदस्य संविधान के अधीन सम्यक् रूप से निर्वाचित अरुणाचल प्रदेश राज्य की विधान सभा के सदस्य समझे जाएंगे ।]

<sup>1</sup> 1988 के अधिनियम सं० 52 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

<sup>2</sup> 1987 के अधिनियम सं० 19 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

**12. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष**—वे व्यक्ति जो नियत दिन के ठीक पूर्व अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, उस दिन से ही अरुणाचल प्रदेश राज्य की अनन्तिम विधान सभा के क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे।

**13. प्रक्रिया के नियम**—विद्यमान अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा की प्रक्रिया और कारबार के संचालन के नियम, जैसे कि नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त हैं, जब तक अनुच्छेद 208 के खंड (1) के अधीन नियम नहीं बनाए जाते तब तक अरुणाचल प्रदेश राज्य की अनन्तिम विधान सभा की प्रक्रिया और कारबार के संचालन के नियम, ऐसे उपांतरणों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए होंगे जो अध्यक्ष उनमें करें।

### निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन

**14. निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन**—(1) निर्वाचन आयोग, धारा 10 के अधीन अरुणाचल प्रदेश राज्य की विधान सभा के लिए, नियत दिन के पूर्व या उसके पश्चात्, समनुदिष्ट स्थानों को एक सदस्यीय प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में, इसमें उपबन्धित रीति से, वितरित करेगा और उनका परिसीमन संविधान के उपबन्धों को और निम्नलिखित उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए करेगा, अर्थात् :—

(क) सभी निर्वाचन-क्षेत्र, यथासाध्य, भौगोलिक रूप से संहत क्षेत्र होंगे और उनका परिसीमन करते समय उनकी प्राकृतिक विशेषताओं, प्रशासनिक इकाइयों की विद्यमान सीमाओं, संचार की सुविधाओं और सार्वजनिक सुविधा को ध्यान में रखना होगा ; और

(ख) वे निर्वाचन-क्षेत्र जिनमें अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाते हैं, यथासाध्य, उन क्षेत्रों में अवस्थित होंगे जहां कुल जनसंख्या के अनुपात में उनकी जनसंख्या सर्वाधिक है।

(2) निर्वाचन आयोग, उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों के पालन में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए, सहयुक्त सदस्यों के रूप में निम्नलिखित को अपने साथ सहयुक्त करेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 9 में निर्दिष्ट लोक सभा के आसीन सदस्य ; और

(ख) यथास्थिति, विद्यमान अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा या धारा 11 में निर्दिष्ट अनन्तिम विधान सभा के ऐसे छह सदस्य जिन्हें उनका अध्यक्ष नामनिर्दिष्ट करे :

परन्तु किसी सहयुक्त सदस्य को मत देने का या निर्वाचन आयोग के किसी विनिश्चय पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं होगा।

(3) यदि सहयुक्त सदस्य का पद मृत्यु या पदत्याग के कारण रिक्त हो जाता है तो वह, यदि साध्य हो तो, उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार भरा जाएगा।

(4) निर्वाचन आयोग,—

(क) निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिए अपनी प्रस्थापनाएं, किसी ऐसे सहयुक्त सदस्य की विसम्मत प्रस्थापनाओं सहित, यदि कोई हों, जो उनका प्रकाशन चाहता है, राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति से, जिसे आयोग ठीक समझे, प्रकाशित करेगा और साथ-साथ एक सूचना भी प्रकाशित करेगा जिसमें प्रस्थापनाओं के संबंध में आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए हों और वह तारीख विनिर्दिष्ट हो जिसको या जिसके पश्चात् प्रस्थापनाओं पर उसके द्वारा आगे विचार किया जाएगा ;

(ख) उन सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार करेगा जो उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त हुए हों ;

(ग) उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख के पहले प्राप्त सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात्, एक या अधिक आदेशों द्वारा, निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन अवधारित करेगा और ऐसे आदेश या आदेशों को राजपत्र में प्रकाशित करवाएगा और ऐसे प्रकाशन पर वह आदेश या वे आदेश विधि का पूर्ण बल रखेंगे और उसे या उन्हें किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(5) सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से सम्बन्धित ऐसा प्रत्येक आदेश, ऐसे प्रकाशन के पश्चात् यथाशीघ्र, यथास्थिति, विद्यमान अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा या धारा 11 में निर्दिष्ट अनन्तिम विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

**15. निर्वाचन आयोग की परिसीमन आदेशों को अद्यतन रखने की शक्ति**—(1) निर्वाचन आयोग, समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा—

(क) धारा 14 के अधीन किए गए किसी आदेश में किसी मुद्रण संबंधी भूल को या उसमें अनवधानता से हुई भूल या लोप के कारण हुई किसी गलती को ठीक कर सकेगा ;

(ख) जहां ऐसे किसी आदेश में उल्लिखित किसी प्रादेशिक खंड की सीमाओं या नाम में परिवर्तन हो जाए वहां ऐसे संशोधन कर सकेगा जो ऐसे आदेश को अद्यतन करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

(2) किसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में इस धारा के अधीन प्रत्येक अधिसूचना, निकाले जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, यथास्थिति, विद्यमान अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा, धारा 11 में निर्दिष्ट अनंतिम विधान सभा या अरुणाचल प्रदेश राज्य की विधान सभा के समक्ष रखा जाएगी।

**16. अनुसूचित जातियां आदेशों का संशोधन—**(1) नियत दिन से ही, संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950, पहली अनुसूची में निदिष्ट रूप में संशोधित हो जाएगा।

(2) नियत दिन से ही, संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश, 1951 दूसरी अनुसूची में निदिष्ट रूप में संशोधित हो जाएगा।

**17. अनुसूचित जनजातियां आदेशों का संशोधन—**(1) नियत दिन से ही, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950, तीसरी अनुसूची में निदिष्ट रूप में संशोधित हो जाएगा।

(2) नियत दिन से ही, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश, 1951, चौथी अनुसूची में निदिष्ट रूप में संशोधित हो जाएगा।

#### भाग 4

### उच्च न्यायालय

**18. असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए एक ही उच्च न्यायालय—**(1) नियत दिन से ही—

(क) असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय, होगा जिसका नाम गोहाटी उच्च न्यायालय (असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश उच्च न्यायालय) होगा (जिसे इसमें इसके पश्चात् सामान्य उच्च न्यायालय कहा गया है) ;

(ख) असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम उच्च न्यायालय के वे न्यायाधीश, जो उस दिन के ठीक पूर्व पद धारण कर रहे थे, जब तक कि वे अन्यथा चयन न करें, उस दिन से सामान्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएंगे।

(2) सामान्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों की बाबत व्यय अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आबंटित किया जाएगा जो राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, अवधारित करें।

**19. अधिवक्ताओं के बारे में उपबन्ध—**(1) नियत दिन से ही,—

(क) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ख) अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों के लिए असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश विधिज्ञ परिषद् के नाम से ज्ञात एक विधिज्ञ परिषद् होगी।” ;

(ख) असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम विधिज्ञ परिषद्, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश विधिज्ञ परिषद् समझी जाएगी।

(2) कोई व्यक्ति जो नियत दिन के ठीक पूर्व अधिवक्ता है और असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम उच्च न्यायालय में विधि व्यवसाय करने का हकदार है, सामान्य उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करने का हकदार होगा।

(3) सभी व्यक्ति जो नियत दिन के ठीक पूर्व असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम विधिज्ञ परिषद् की नामावली में अधिवक्ता हैं, उसी दिन से असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश विधिज्ञ परिषद् की नामावली के अधिवक्ता हो जाएंगे।

(4) सामान्य उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार वैसे ही सिद्धांतों के अनुसार विनियमित किया जाएगा जो नियत दिन के ठीक पूर्व असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम उच्च न्यायालय में सुनवाई की बाबत प्रवृत्त हैं :

परन्तु अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों के महाधिवक्ताओं के बीच सुनवाई का अधिकार अधिवक्ता के रूप में उनके नामांकन की तारीखों के प्रति निर्देश से अवधारित किया जाएगा।

**20. सामान्य उच्च न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया—**इस भाग के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम उच्च न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया की बाबत नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि, आवश्यक उपान्तरणों सहित, सामान्य उच्च न्यायालय के सम्बन्ध में लागू होगी।

**21. सामान्य उच्च न्यायालय की मुद्रा की अभिरक्षा**—असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम उच्च न्यायालय की मुद्रा की अभिरक्षा के संबंध में नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि, आवश्यक उपान्तरणों सहित, सामान्य उच्च न्यायालय की मुद्रा की अभिरक्षा के सम्बन्ध में लागू होगी।

**22. रिटों और अन्य आदेशिकाओं का प्ररूप**—असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम उच्च न्यायालय द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली, जारी की जाने वाली या दी जाने वाली रिटों तथा अन्य आदेशिकाओं के प्ररूप की बाबत नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि, आवश्यक उपान्तरणों सहित, सामान्य उच्च न्यायालय द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली, जारी की जाने वाली या दी जाने वाली रिटों तथा अन्य आदेशिकाओं के प्ररूप के सम्बन्ध में लागू होगी।

**23. न्यायाधीशों की शक्तियां**—असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, एकल न्यायाधीशों और खंड न्यायालयों की शक्तियों के संबंध में तथा उन शक्तियों के प्रयोग के आनुषंगिक सभी विषयों के संबंध में, नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि, आवश्यक उपान्तरणों सहित, सामान्य उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होगी।

**24. सामान्य उच्च न्यायालय का मुख्य स्थान और बैठकों के अन्य स्थान**—(1) सामान्य उच्च न्यायालय का मुख्य स्थान उसी स्थान पर होगा जिस पर असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम उच्च न्यायालय का मुख्य स्थान नियत दिन के ठीक पूर्व अवस्थित है।

(2) राष्ट्रपति, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे राज्यक्षेत्रों के भीतर जिन पर उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार है, उच्च न्यायालय के मुख्य स्थान से भिन्न एक या अधिक स्थानों पर सामान्य उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायपीठ या न्यायपीठों की स्थापना के लिए और उससे सम्बन्धित विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेगा :

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश निकालने के पूर्व, राष्ट्रपति सामान्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करेगा जिसमें न्यायपीठ या न्यायपीठों को स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, सामान्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और खण्ड न्यायालय, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर बैठकें कर सकेंगे जो मुख्य न्यायमूर्ति संबद्ध राज्य के राज्यपाल के अनुमोदन से नियत करें।

**25. उच्चतम न्यायालय को अपीलों के बारे में प्रक्रिया**—असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम के उच्च न्यायालय और उसके न्यायाधीशों और खण्ड न्यायालयों से उच्चतम न्यायालय को अपीलों के संबंध में नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि, आवश्यक उपान्तरणों सहित, सामान्य उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होगी।

**26. असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम उच्च न्यायालय से कार्यवाहियों का सामान्य उच्च न्यायालय को अन्तरण**—(1) असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम उच्च न्यायालय में नियत दिन के ठीक पूर्व लंबित सभी कार्यवाहियां ऐसे दिन से सामान्य उच्च न्यायालय को अन्तरित हो जाएंगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन अन्तरित प्रत्येक कार्यवाही सामान्य उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार निपटाई जाएगी मानो ऐसी कार्यवाही उस उच्च न्यायालय द्वारा ग्रहण की गई थी।

**27. निर्वचन**—धारा 26 के प्रयोजनों के लिए,—

(क) किसी न्यायालय में कार्यवाहियां तब तक लंबित समझी जाएंगी जब तक वह न्यायालय उसके पक्षकारों के बीच सभी विवादों का, जिनके अन्तर्गत कार्यवाहियों के खर्चे के कराधान की बाबत कोई विवादक भी है, निपटारा नहीं करता है और उसके अन्तर्गत अपीलों, उच्चतम न्यायालय को अपील के लिए इजाजत के लिए आवेदन, पुनर्विलोकन के लिए आवेदन, पुनरीक्षण के लिए अर्जियां और रिटों के लिए अर्जियां हैं; और

(ख) किसी उच्च न्यायालय के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अन्तर्गत उसके किसी न्यायाधीश या खण्ड न्यायालय के प्रति निर्देश हैं; और किसी न्यायालय या न्यायाधीश द्वारा किए गए किसी आदेश के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अन्तर्गत उस न्यायालय या न्यायाधीश द्वारा किए गए दण्डादेश, निर्णय या पारित डिक्री के प्रति निर्देश भी हैं।

**28. सामान्य उच्च न्यायालय को अन्तरित कार्यवाहियों में उपस्थित होने या कार्य करने का अधिकार**—प्रत्येक व्यक्ति को, जो नियत दिन के ठीक पूर्व अधिवक्ता है और जो असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम के उच्च न्यायालय में विधि व्यवसाय करने का हकदार है और उक्त उच्च न्यायालय से सामान्य उच्च न्यायालय को धारा 26 के अधीन अन्तरित किन्हीं कार्यवाहियों में उपस्थित होने या कार्य करने के लिए प्राधिकृत था, उन कार्यवाहियों के संबंध में सामान्य उच्च न्यायालय में, यथास्थिति, उपस्थित होने या कार्य करने का अधिकार होगा।

<sup>1</sup>[28क. मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों को इस भाग का लागू न होना—पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2012 के प्रारंभ की तारीख से ही धारा 18 से धारा 29 (जिनमें दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) के उपबंध मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों को लागू नहीं होंगे।]

**29 व्यावृत्ति**—इस भाग की कोई बात संविधान के किन्हीं उपबन्धों के सामान्य उच्च न्यायालय को लागू होने पर प्रभाव नहीं डालेगी, और इस भाग का प्रभाव किसी ऐसे उपबन्ध के अधीन रहते हुए होगा, जो नियत दिन को या उसके पश्चात् उस उच्च न्यायालय की बाबत किसी विधान-मण्डल या ऐसे उपबंध करने के लिए शक्ति रखने वाले किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाए।

## भाग 5

### व्यय का प्राधिकृत किया जाना और राजस्व का वितरण

**30. व्यय का विधान-मंडल द्वारा उसकी मंजूरी के लम्बित रहने तक प्राधिकृत किया जाना**—(1) राष्ट्रपति, नियत दिन के पूर्व किसी भी समय, अरुणाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से ऐसा व्यय, आदेश द्वारा, प्राधिकृत कर सकेगा जो वह, अरुणाचल प्रदेश राज्य की विधान सभा द्वारा ऐसे व्यय की मंजूरी के लम्बित रहने तक, नियत दिन को प्रारम्भ होने वाली छह मास से अनधिक की अवधि के लिए आवश्यक समझे :

परन्तु अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल, नियत दिन के पश्चात्, किसी अवधि के लिए जो छह मास की उक्त अवधि के परे की नहीं होगी, अरुणाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से ऐसा अतिरिक्त व्यय आदेश द्वारा प्राधिकृत कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

(2) यथास्थिति, राष्ट्रपति या अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल भिन्न वित्तीय वर्षों के अन्तर्गत आने वाली अवधियों की बाबत उपधारा (1) के अधीन पृथक् आदेश करेगा।

**31. विद्यमान अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र के लेखाओं से संबंधित रिपोर्टें**—(1) नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि की बाबत विद्यमान अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र के लेखाओं के सम्बन्ध में संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) की धारा 49 में निर्दिष्ट भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्टें अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएंगी जो उन्हें राज्य की विधान सभा के समक्ष रखवाएगा।

(2) राज्यपाल, आदेश द्वारा,—

(क) वित्तीय वर्ष 1986-87 के दौरान नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि की बाबत किसी सेवा पर विद्यमान अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से या किसी पूर्वतर वित्तीय वर्ष की बाबत उस सेवा के लिए अनुदत्त रकम से अधिक और उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिपोर्टों में यथाप्रकटित उस वर्ष के लिए उपगत कोई व्यय, सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया घोषित कर सकेगा, और

(ख) उक्त रिपोर्टों से उद्भूत होने वाली किसी बात पर की जाने वाली किसी कार्रवाई के लिए उपबन्ध कर सकेगा।

**32. अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के भत्ते और विशेषाधिकार**—अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के भत्ते और विशेषाधिकार, जब तक राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 (1982 का 43) प्रवृत्त नहीं हो जाता, तब तक ऐसे होंगे जो राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, अवधारित करे।

**33. राजस्व का वितरण**—राष्ट्रपति, अरुणाचल प्रदेश राज्य के राजस्व के सहायता अनुदान और उस राज्य का संघ के उत्पाद-शुल्क, सम्पदा-शुल्क और आय पर करों में अंश, आदेश द्वारा, अवधारित करेगा और उस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58), संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1979 (1979 का 24), संपदा-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 (1962 का 9) और संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 1985 के सुसंगत उपबंधों का ऐसी रीति से संशोधन करेगा जो वह ठीक समझे।

## भाग 6

### आस्तियां और दायित्व

**34. सम्पत्ति, आस्तियां, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं, आदि**—(1) विद्यमान अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र के भीतर सभी ऐसी संपत्ति और आस्तियां, जो उस संघ राज्यक्षेत्र के शासन के प्रयोजनों के लिए संघ द्वारा, नियत दिन के ठीक पूर्व, धारित हैं उस दिन से ही अरुणाचल प्रदेश राज्य को संक्रांत हो जाएंगी यदि वे प्रयोजन जिनके लिए ऐसी संपत्ति और आस्तियां इस प्रकार धारित हैं संघ के प्रयोजन नहीं हैं :

परन्तु नियत दिन के पूर्व विद्यमान अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र में खजानों में नकद अतिशेष, उसी दिन से, अरुणाचल प्रदेश राज्य में निहित हो जाएंगे।

<sup>1</sup> 2012 के अधिनियम सं० 26 की धारा 13 द्वारा अंतःस्थापित।

(2) (संघ के किसी प्रयोजन से सम्बन्धित या उसके सम्बन्ध में सभी अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं से भिन्न) सभी अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं चाहे किसी संविदा से या अन्यथा उद्भूत हों, जो नियत दिन के ठीक पूर्व,—

(क) विद्यमान अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र के शासन से या उसके सम्बन्ध में उद्भूत होने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं हैं; या

(ख) विद्यमान अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के उसके उस हैसियत में या उस संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं हैं,

नियत दिन से ही, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सरकार के अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं होंगी।

(3) निम्नलिखित किसी कर या शुल्क के, जो विद्यमान अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र में शोध्य हो गया है, बकाया को वसूल करने का अधिकार अरुणाचल प्रदेश राज्य को संक्रांत हो जाएगा, अर्थात् :—

(क) कोई कर या शुल्क जो संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य-सूची में प्रगणित कर या शुल्क है, या

(ख) अनुच्छेद 268 में निर्दिष्ट कोई शुल्क, या

(ग) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) के अधीन कोई कर।

(4) इस धारा के उपबन्ध,—

(क) किसी ऐसी संस्था, उपक्रम या परियोजना को या उसके संबंध में लागू नहीं होंगे, जिसके संबंध में नियत दिन के ठीक पूर्व व्यय भारत की संचित निधि में से किया जाता है;

(ख) किसी संपत्ति को या उसके संबंध में लागू नहीं होंगे जो संघ द्वारा विद्यमान अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन के व्ययनाधीन इस शर्त के अधीन रखी गई है कि उसका स्वामित्व संघ में निहित रहेगा।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) “दायित्व” के अन्तर्गत किसी सिविल निक्षेप, स्थानीय निधि निक्षेप, पूर्त या अन्य विन्यास, भविष्य निधि लेखा, पेंशन या अनुयोज्य दोष की बाबत दायित्व भी है;

(ख) “संघ प्रयोजन” से संघ सूची में उल्लिखित किन्हीं विषयों से संबंध में सरकार के प्रयोजन अभिप्रेत हैं।

## भाग 7

### सेवाओं के बारे में उपबन्ध

**35. अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में उपबन्ध**—भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा का प्रत्येक सदस्य जो, नियत दिन से ठीक पूर्व, विद्यमान अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र में कोई पद धारण कर रहा है जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए, सेवा के उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर जो सुसंगत काडर नियमों के अधीन उसे लागू हैं, नियत दिन से ही, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सरकार में प्रतिनियुक्ति पर समझा जाएगा :

परन्तु ऐसी प्रतिनियुक्ति की अवधि किसी भी दशा में नियत दिन से तीन वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होगी।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा में, “काडर नियम” से, यथास्थिति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर) नियम, 1954, भारतीय पुलिस सेवा (काडर) नियम, 1954 या भारतीय वन सेवा (काडर) नियम, 1966 अभिप्रेत है।

**36. अन्य सेवाओं के संबंध में उपबन्ध**—(1) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में, जो नियत दिन के ठीक पूर्व, विद्यमान अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन संघ के कार्यकलापों के संबंध में सेवा कर रहा है, जब तक कि केन्द्रीय सरकार के किसी आदेश द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए, यह समझा जाएगा कि वह उस दिन से अरुणाचल प्रदेश राज्य के कार्यकलापों से संबंधित सेवा के लिए आबंटित कर दिया गया है :

परन्तु नियत दिन से एक वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् इस धारा के अधीन कोई निदेश नहीं दिया जाएगा।

(2) इस धारा के उपबन्ध ऐसे व्यक्तियों के संबंध में लागू नहीं होंगे, जिन्हें धारा 35 के उपबन्ध लागू होते हैं।

**37. सेवाओं के बारे में अन्य उपबन्ध**—(1) इस धारा या धारा 36 की कोई बात नियत दिन को या उसके पश्चात् अरुणाचल प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवा कर रहे व्यक्तियों की सेवाओं की शर्तों के अवधारण के संबंध में संविधान के भाग 14 के अध्याय 1 के उपबन्धों के प्रवर्तन पर कोई प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी :

परन्तु धारा 36 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के मामले में, नियत दिन के ठीक पूर्व लागू सेवा की शर्तों को, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, उसके लिए अलाभकर रूप में परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(2) नियत दिन के पूर्व विद्यमान अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन के संबंध में धारा 36 के अधीन आबंटित समझे गए व्यक्ति द्वारा की गई सभी सेवाएं उसकी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों के प्रयोजनों के लिए अरुणाचल प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के संबंध में की गई समझी जाएंगी।

**38. अधिकारियों के उन्हीं पदों पर बने रहने के बारे में उपबन्ध**—ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र के कार्यकलापों से संबंधित कोई पद या अधिकार-पद धारण करता है या उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है, उसी पद या अधिकार-पद को धारण करता रहेगा और उस दिन से ही अरुणाचल प्रदेश राज्य की सरकार या उसके अन्य समुचित प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति के उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर और उसी सेवाधृति पर उसी पद या अधिकार-पद पर सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया समझा जाएगा जिस पर वह उस दिन के ठीक पूर्व उस पद या अधिकार-पद को धारण करता था :

परन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी सक्षम प्राधिकारी को नियत दिन को या उसके पश्चात् ऐसे व्यक्ति के संबंध में ऐसा कोई आदेश जो ऐसे पद या अधिकार-पद पर उसके बने रहने को प्रभावित करने वाला हो, पारित करने से निवारित करती है।

**39. सलाहकार समितियां**—केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा,—

(क) इस भाग के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने ; और

(ख) इस भाग के उपबन्धों द्वारा प्रभावित सभी व्यक्तियों के प्रति ऋजु और साम्यापूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करने तथा ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए किसी अभ्यावेदनों पर समुचित रूप से विचार करने,

के बारे में अपनी सहायता करने के प्रयोजन के लिए एक या अधिक सलाहकार समितियां स्थापित कर सकेगी।

**40. कुछ समय के पश्चात् प्रतिनिधित्व का प्रतिषेध**—तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस भाग के उपबन्धों के अधीन पारित किसी आदेश के विरुद्ध कोई भी अभ्यावेदन ऐसे आदेश के प्रकाशन या उसकी तारीख की तारीख से, जो भी पूर्वतर हो, तीन मास की समाप्ति पर नहीं होगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार स्वप्रेरण से या अन्यथा, और ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, किसी मामले को पुनः प्रारम्भ कर सकेगी और उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगी जो उसे उपयुक्त प्रतीत हों, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि किसी प्रभावित व्यक्ति को घोर अन्याय से बचाने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है।

**41. केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति**—केन्द्रीय सरकार इस भाग के पूर्वगामी उपबन्धों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए अरुणाचल प्रदेश राज्य की सरकार को ऐसे निदेश दे सकेगी जो उसे आवश्यक प्रतीत हों और राज्य सरकार ऐसे निदेशों का पालन करेगी।

## भाग 8

### विधिक और प्रकीर्ण उपबन्ध

**42. संविधान के अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 239क और अनुच्छेद 240 का संशोधन**—नियत दिन से ही—

(क) अनुच्छेद 210 के खण्ड (2) के दूसरे परन्तुक में “मिजोरम राज्य के विधान-मण्डल” शब्दों के स्थान पर “अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्यों के विधान-मण्डल” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) अनुच्छेद 239क के खण्ड (1) में “पांडिचेरी और अरुणाचल प्रदेश” शब्दों के स्थान पर “और पांडिचेरी” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) अनुच्छेद 240 के खण्ड (1) में,—

(i) प्रविष्टि (छ) का लोप किया जाएगा ;

(ii) परन्तुकों में “पांडिचेरी या अरुणाचल प्रदेश” शब्दों के स्थान पर “या पांडिचेरी” शब्द रखे जाएंगे।

**43. 1958 के अधिनियम 28 का संशोधन**—नियत दिन से ही सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के बृहत् नाम में और धारा 1 की उपधारा (2) में “असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों तथा अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र” शब्दों के स्थान पर “अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों” शब्द रखे जाएंगे।

**44. 1963 के अधिनियम 20 का संशोधन**—नियत दिन से ही, संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 में,—

(i) धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) में, “पांडिचेरी और अरुणाचल प्रदेश” शब्दों के स्थान पर “और पांडिचेरी” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) धारा 33 की उपधारा (2) के परन्तुक का लोप किया जाएगा ;

(iii) धारा 44 की उपधारा (2) का लोप किया जाएगा।

**45. 1971 के अधिनियम 84 का संशोधन**—नियत दिन से ही, पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971 में,—

(क) धारा 2 में, खण्ड (ख) और खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘(ख) “पूर्वोत्तर क्षेत्र” से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य समाविष्ट हैं।’ ;

(ख) धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ख) अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों के मुख्य मंत्री।”।

**46. विद्यमान विधियों का बने रहना और उनका अनुकूलन**—(1) विद्यमान अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र में नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी विधियां अरुणाचल प्रदेश राज्य में तब तक प्रवृत्त बनी रहेंगी जब तक कि किसी सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनमें परिवर्तन, उनका निरसन या संशोधन नहीं कर दिया जाता है।

(2) नियत दिन के पूर्व बनाई गई किसी विधि के अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में लागू होने को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए, समुचित सरकार, उस दिन से दो वर्ष के भीतर, आदेश द्वारा, ऐसी विधि में निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में ऐसे अनुकूलन और उपांतरण कर सकेगी जो आवश्यक या समीचीन हों और तब ऐसी प्रत्येक विधि इस प्रकार किए गए अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए तब तक प्रभावी रहेगी जब तक सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसमें परिवर्तन, निरसन या संशोधन नहीं कर दिया जाता है।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा में “समुचित सरकार” पद से संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ सूची में प्रगणित किसी विषय से संबंधित किसी विधि की बाबत केन्द्रीय सरकार और किसी अन्य विधि की बाबत अरुणाचल प्रदेश राज्य की सरकार अभिप्रेत है।

**47. विधियों के अर्थान्वयन की शक्ति**—इस बात के होते हुए भी कि नियत दिन के पूर्व बनाई गई किसी विधि के अनुकूलन के लिए धारा 46 के अधीन कोई उपबंध नहीं किया गया है या अपर्याप्त उपबंध किया गया है, ऐसी विधि को प्रवृत्त करने के लिए अपेक्षित या सशक्त कोई न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में उसको लागू करने को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए उस विधि का अर्थान्वयन ऐसी रीति से कर सकेगा जो उसके सार पर प्रभाव न डालती हो और जो, यथास्थिति, ऐसे न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष विषय के संबंध में आवश्यक या उचित हों।

**48. न्यायालयों, आदि के बने रहने के बारे में उपबन्ध**—नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र में सर्वत्र या उसके किसी भाग में विधिपूर्ण कृत्यों का निर्वहन करने वाले सभी न्यायालय और अधिकरण तथा सभी प्राधिकरण, जब तक कि उनका बना रहना इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो या जब तक कि सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्य उपबंध नहीं कर दिया जाता है, अपने-अपने कृत्यों का प्रयोग करते रहेंगे।

**49. अन्य विधियों से असंगत अधिनियम के उपबन्धों का प्रभाव**—इस अधिनियम के उपबंध किसी अन्य विधि में इससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

**50. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति**—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा, ऐसी कोई बात कर सकेगा जो ऐसे उपबंधों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु ऐसा कोई आदेश नियत दिन से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

**51. नियम बनाने की शक्ति**—(1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पहली अनुसूची  
[धारा 16(1) देखिए]

**संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का संशोधन**

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में,—

- (1) पैरा 2 में “20” अंकों के स्थान पर “21” अंक रखे जाएंगे ;
- (2) अनुसूची में, भाग 20 के पश्चात्, निम्नलिखित भाग अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

**“भाग 21—अरुणाचल प्रदेश**

1. बांसफोड़
2. भुईमाली या माली
3. त्रिप्तिआल-बनिया या बनिया
4. धूपी या धोबी
5. डगला या ढोली
6. हीरा
7. जलकेबट
8. झालो, मालो या झालो-मालो
9. कैबर्त या जालिया
10. लालबेगी
11. महरा
12. मेहतर या भंगी
13. मूची या ऋषी
14. नामशूद्र
15. पटनी
16. सूत्रधार ।” ।

दूसरी अनुसूची  
[धारा 16(2) देखिए]

**संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश, 1951 का संशोधन**

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश, 1951 में,—

- (1) पैरा 2 में “भाग 1 से लेकर भाग 3 तक” शब्दों और अंकों के स्थान पर “भाग 1 से भाग 2” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
- (2) पैरा 4 में, “1956” अंकों के स्थान पर “1956 और” अंक और शब्द रखे जाएंगे और “तथा अनुसूची के भाग 3 और भाग 4 में किसी संघ राज्यक्षेत्र” शब्दों और अंकों से आरंभ होने वाले और “किसी राज्यक्षेत्र के प्रति निर्देश है” शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग का लोप किया जाएगा ;
- (3) अनुसूची में, भाग 3—अरुणाचल प्रदेश का लोप किया जाएगा ।

### तीसरी अनुसूची

[धारा 17(1) देखिए]

#### संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का संशोधन

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में,—

- (1) पैरा 2 में, “17” अंकों के स्थान पर “18” अंक रखे जाएंगे ;
- (2) अनुसूची में, भाग 17 के पश्चात्, निम्नलिखित भाग अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

#### “भाग 18—अरुणाचल प्रदेश

निम्नलिखित सहित राज्य की सब जनजातियां :—

1. अबोर
2. आका
3. अप्तनी
4. डाफला
5. गालंग
6. खाम्पती
7. खोवा
8. मिशमी
9. मोम्बा
10. कोई नागा जनजातियां
11. शेरडूम्पेन
12. सिंगफो ।” ।

### चौथी अनुसूची

[धारा 17(2) देखिए]

#### संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश, 1951 का संशोधन

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश, 1951 में,—

- (1) पैरा 2 में, “भाग 1 और भाग 2” शब्दों और अंकों के स्थान पर “भाग 1” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
- (2) पैरा 3 में “तथा अनुसूची के भाग 3 और भाग 4 में किसी संघ राज्यक्षेत्र” शब्दों और अंकों से आरंभ होने वाले और “किसी राज्यक्षेत्र के प्रति निर्देश हैं” शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग का लोप किया जाएगा ;
- (3) अनुसूची में, भाग 2—अरुणाचल प्रदेश का लोप किया जाएगा ।